P.G. Regulation

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 1989/कार्तिक 25, 1911
No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 1989/KARTIKA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1989

सं० 12-18/89-सी.सी.एच./3392 :—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973, की धारा 33 के खण्ड (झ) (ञ) और (ट) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग—1

प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम डी (होम्यो.) विनियम, 1989 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं —इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) अभिप्रेत है

(ख) "पाठ्यक्रम" से होम्योपैथी के निम्नलिखित पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(1) एम.डी. (होम्यो.) (होम्योपैथी में आयुर्विज्ञान वाचस्पति)—मैटीरिया मेडिका।

(2) एम.डी. (होम्यो.) (होम्योपैथी में आयुर्विज्ञान वाचस्पति)—होमियोपैथी दर्शन।

(3) एम.डी. (होम्यो.) (होम्योपैथी में आयुर्विज्ञान वाचस्पति)—रेपेरटरि।

(ग) "एम.डी. (होम्यो)" से विनियम 3 के उप-विनियम (1) में यथा विहित होम्योपैथी में स्नातकोत्तर डिग्री (होम्योपैथी में आयुर्विज्ञान वाचस्पति) अभिप्रेत है,

(घ) "होम्योपैथी महाविद्यालय" से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध और केन्द्रीय परिषद् मान्यताप्राप्त कोई होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है,

(ङ) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई आयुर्विज्ञान निरीक्षक अभिप्रेत है,

(च) "परिदर्शक" से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया परिदर्शक अभिप्रेत है,

(छ) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ज) "अनुसूची" से अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है,

(झ) "पाठ्य विवरण" और "पाठ्यचर्या" से इन विनियमों के अधीन यथा विहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यविवरण और पाठ्यचर्या अभिप्रेत है,

(ञ) "अध्यापन अनुभव" से केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी होम्योपैथी महाविद्यालय या अस्पताल का अध्यापन का अनुभव अभिप्रेत है,

भाग-2

पाठ्यक्रम

3\. (1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयों में होंगे :—

(1) एम.डी. (होम्यो)—मैटीरिया मेडिका

(2) एम.डी. (होम्यो)—होम्योपैथी दर्शन।

(3) एम.डी० (होम्यो)—रैपरटरि।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का होगा जिसमें एक वर्ष की गृह विज्ञता या उसके समकक्ष भी है।

(3) प्रत्येक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित होंगे :—

(क) एम.डी. (होम्यो.)—मैटीरिया मेडिका	(1) मेटिरिया मेडिका (2) आयुर्विज्ञान अभ्यास (3) होम्योपैथिक दर्शन और औषधि ज्ञान-साधन या रेपरटरि, और (4) अनुसंधान पद्धति और आंकड़े।
(ख) एम०डी० (होम्यो०) होम्योपैथी दर्शन	(1) होम्योपैथी दर्शन और आयुर्विज्ञान ज्ञान-साधन। (2) आयुर्विज्ञान अभ्यास (3) मेटिरिया मेडिका या रेपरटरि, और (4) अनुसंधान पद्धति और आंकड़े।
(ग) एम.डी. (होम्यो.)—रैपरटरि	(1) रेपरटरि, (2) आयुर्विज्ञान अभ्यास, (3) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथी दर्शन और आयुर्विज्ञान ज्ञान-साधन, और (4) अनुसंधान पद्धति और आंकड़े।

भाग–3

पाठ्यक्रम में प्रवेश

4. (1) किसी भी अभ्यर्थी को एम.डी. (होम्यो.) पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसने :—

(1) होम्योपैथी में पांच वर्ष छह मास अवधि का पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् दी गई स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसमें गृह शिक्षुता भी हो, या

(2) होम्योपैथी में कम से कम 2 वर्ष अवधि के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् दी गई डीग्री पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(3) होम्योपैथी में कम से कम 4 वर्ष अवधि के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात डिप्लोमा परीक्षा जिसमें गृह शिक्षुता भी दी गई हो, उत्तीर्ण की हो।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का चयन विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता क्रम के आधार पर किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी ने ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष तक काम किया हो उसे अधिमानत दी जा सकती है।

भाग–4

पाठ्य विवरण

5. स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी. होम्यो.) के लिए पाठ्य-विवरण :

एम.डी. (होम्यो.) पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित पाठ्य विवरण होगा, अर्थात् :—

(1) मेटिरिया मेडिका : —उन सभी औषधियों का ज्ञान हो जो होम्योपैथी नैदानिक चिकित्सा में प्रयोग में आती हैं। मेटिरिया मेडिका का अध्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जिससे कि निम्नलिखित की समझ आ सके :

(1) होम्योपैथी मेटिरिया मेडिका का स्वरूप और परिचय।

(2) होम्योपैथी मेटिरिया मेडिका का स्रोत और रचना।

(3) होम्योपैथी मेटिरिया मेडिका की अन्य चिकित्सा-पद्धतियों से तुलना :

(क) मेटिरिया मेडिका ब्यौरा :

(1) सभी स्रोतों, पुस्तकों से होम्योपैथी औषधियों के शुद्ध प्रभावों का अध्ययन और उनकी व्याख्या।

(2) नई व आंशिक रूप से प्रमाणित औषधियों का औषधि परीक्षण।

(ख) अनुप्रयुक्त मेटिरिया मेडिका :

(1) मेटिरिया मेडिका के प्रयोग में अंतर्ग्रस्त तत्वों (होम्योपैथी दर्शन, नैदानिक औषधियां, होम्योपैथी रेपर्टरि और मेटिरिया मेडिका ब्यौरा),

(2) मेटिरिया मेडिका के अध्ययन के विभिन्न तरीके, जैसे मनो-वैज्ञानिक-नैदानिक रोग वैज्ञानिक, संश्लिष्ट, तुलनात्मक विशेषात्मक और उपचार संबंध,

(3) आंशिक प्रमाणित विभिन्न होम्योपैथी औषधियों के नैदानिक परीक्षण के आधार पर क्लीनिकल क्षमता की जांच,

(4) अन्त: रोगों का होम्योपैथी से उपचार।

(2) चिकित्सा अध्ययन :

(1) तीव्र रोग जिनमें छूत रोग भी हैं उनके कारण मात्रा रोग परीक्षा विज्ञान, नैदानिक प्राकट्य निदानसूचक तरीके, जटिलताएं और मैटिरिया मैडिका से उपचार

(2) पुराने विषजन्य रोग :—मैटिरिया मैडिका के प्रयोग में शारीरिक दशाएं, एक तरफा रोग, स्थानीय रोग जिसमें शल्य संबंधी और शल्य रहित रोग भी हैं, मानसिक असन्तुलन उनके कारण, मात्रा रोग परीक्षा विज्ञान, नैदानिक प्राकट्य रोग निर्ण संबंधी रीति, जटिलताएं और मैटिरिया मैडिका द्वारा उनका उपचार।

(3) निर्विषजन्य दशाएं :

सामाजिक और सामुदायिक औषधियां जिसमें वृत्ति संबंधी और वातावरण सम्बन्धी रोग भी हैं, जन्म निरोध और परिवार कल्याण जहां प्रशासक और मशीनी चिकित्सा की आवश्यकता हो वहां शल्य संबंधी और अन्य दशाएं।

(3) होम्योपैथी दर्शन और औषधि ज्ञान साधन :

सामान्यतया हृदयमान की विचाराधारा के विशेष संदर्भ में उसके सभी लेखकों सहित और विशेषतया मानव संबंधी जीवन की अखिल विश्व विचाराधारा मस्तिष्क संबंधी विश्व-विचाराधारा, भौतिक विश्व और उसके विशिष्ट स्वरूप, उसके विभिन्न तत्व और उनसे संबंध।

मानव जाति का मूल मनोविज्ञान

सामान्य विचार—कारण तथा परिणाम—प्रभाव

स्वास्थ्य संबंधी गतिशील विचाराधारा, रोग और उपचार, होलीय विचाराधारा और व्यष्टीकरण विचार धारा, समानता के सिद्धांतो द्वारा असन्तुलन—सन्तुलन रोग निर्धारण के तरीके।

होम्योपैथी मेटिरिया मेडिका के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग, प्रत्येक औषधि के गुणों के प्रभाव का अध्ययन। औषधि इतिहास।

होम्योपैथी की उत्पत्ति और चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी स्थापना।

वर्तमान सन्दर्भ मे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का क्षेत्र और सीमाएं।

औषधि ज्ञान-साधन के विभिन्न स्वरूपो का आलोचनात्मक अध्ययन।

(4) रेपरटरि :

(1) होम्योपैथी चिकित्सा में रेपरटरि के विकास का ऐतिहासिक और आलोचनात्मक अध्ययन।

(2) रेपरटरि के विभिन्न लेखकों, जैसे, बोनीहासन, बोगर-बोनीहासन केन्ट, कार्ड रेपरटरि इत्यादि के विचारानुसार रेपरटरि की रचना।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा की दृष्टि से रोगियों की चिकित्सा (केस टेकिंग)।

(4) रोगों के लक्षण की पूर्ण उप-धारणा।

(5) लक्षणों का अंकन और लक्षणों के विश्लेषण और निर्धारण के भिन्न तरीके।

(6) रेपरटरि के प्रयोग का क्षेत्र और सीमाएं।

(7) विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में अलग-अलग रेपरटरियों के प्रयोग की विधि।

(5) अनुसंधान की विधि और आंकड़े :

(1) चिकित्सा आंकड़ों का आधारी ज्ञान।

(2) सांख्यिकी में नए प्रयोगों की सहायता से होम्योपैथी में अनुसंधान कार्य की प्रकृति और वर्गीकरण।

(3) व्याख्यात्मक अनुसंधान कार्य
या
पुष्टिकारक अनुसंधान कार्य
या
प्रयोगात्मक अनुसंधान कार्य.

भाग—5

परीक्षाएं

(6) (1) परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) एम.डी. (होम्यो.) भाग—1

(ख) एम.डी. (होम्यो.) भाग—2

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी जो भाग 1 की परीक्षा में प्रवेश चाहता है विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के साथ आवेदन करेगा :—

(क) अपने मार्ग दर्शक से उन विषयों का अध्ययन पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र जिनमें वह परीक्षा में प्रवेश के लिए वांछा करता है, और

(ख) मान्यता प्राप्त अस्पताल से एक वर्ष गृह शिक्षुता (हाउस जाब) पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी को जो भाग 2 की परीक्षा में प्रवेश चाहता है, कम से कम 10000 शब्दों का शोध निबंध प्रस्तुत करना शोध निबंध मौखिक परीक्षा का आधार होगा।

7. भाग—1 : एम.डी. (होम्यो) परीक्षा :

प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निम्नलिखित होंगे —

(क) एम.डी. (होम्यो) (मेटीरिया मेडिका)

विषय	लिखित	मौखिक	प्रयोगात्मक	उत्तीर्णांक	योग
मेटीरिया मेडिका प्यूरा	200	100	100	200	400
व्यवहारिक अभ्यास, रोग हर शास्त्र सहित	100	25	25	75	150
औषधि विज्ञान ज्ञान-साधन और होम्योपैथिक दर्शन या रेपरटरि	100	25	25	75	150
अनुसंधान पद्धति और आंकड़े	100	—	—	50	100

(ख) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथिक दर्शन :

विषय	लिखित	मौखिक	प्रयोगात्मक	उत्तीर्णांक	योग
होम्योपैथिक दर्शन और औषधि ज्ञान-साधन	200	100	100	200	400
चिकित्सा अभ्यास रोग-हर शास्त्र सहित	100	25	25	75	150
मेटीरिया मेडिका या रेपरटरि	100	25	25	75	150
अनुसंधान की पद्धति और आंकड़े	100	—	—	50	100

(ग) एम.डी. (होम्यो.) रेपरटरि :

विषय	लिखित	मौखिक	प्रयोगात्मक	उत्तीर्णांक	योग
रेपरटरि	200	100	100	200	400
चिकित्सा, अभ्यास रोग-हर शास्त्र सहित	100	25	25	75	150
मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन और औषधि ज्ञान-साधन	100	25	25	75	150
अनुसंधान की पद्धति और आंकड़े	100	—	—	50	100

8. एम.डी. (होम्यो) भाग 2 परीक्षा :

(1) अभ्यर्थी को भाग 2 की परीक्षा होने से कम से कम नौ माह पूर्व अपने मार्गदर्शक के पास शोध निबंध देना होगा जिसका मूल्यांकन मार्गदर्शक भाग 2 की परीक्षा के कम से कम छह मास पूर्व करेगा।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को जो भाग 2 की परीक्षा में प्रवेश लेना चाहता है अपना आवेदन-पत्र निम्नलिखित के साथ विश्वविद्यालय को देना होगा :—

(क) भाग 1 परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र, और

(ख) मार्गदर्शक से उन विषयों में अध्ययन पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र जिनमें वह परीक्षा के लिए प्रवेश चाहता है।

(3) प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

(क) एम.डी. (होम्यो.) मेटिरिया मेडिका :—

विषय	लिखित	मौखिक	प्रयोगात्मक	उत्तीर्णांक	योग
मेटिरिया मेडिका प्यूरा प्रश्न पत्र I मेटिरिया मेडिका सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र II	100 100	100	100	200	400
चिकित्सा अभ्यास	100	50	50	100	200
औषधि विज्ञान, साधन और दर्शन	100	25	25	75	150
रेपरटरि	100	25	25	75	150

(ख) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथी दर्शन :

विषय	लिखित	मौखिक	प्रयोगात्मक	उत्तीर्णांक	योग
होम्योपैथी दर्शन चिकित्सा अभ्यास	100 100	100	100	200	400
औषधि ज्ञान साधन	100	50	50	100	200
मेटिरिया मेडिका	100	25	25	75	150
रेपरटरि	100	25	25	75	150

(ग) एम.डी. (होम्यो.) रेपर्टरी :

विषय	*लिखित	मौखिक	प्रयोगात्मक	उत्तीर्णांक	योग
रेपर्टरी प्रश्न-पत्र I ,, ,, ,, II	100 100	100	100	200	400
चिकित्सा अभ्यास	100	50	50	100	200
मेटिरिया मेडिका	100	25	25	75	150
होम्योपैथी दर्शन और औषधि ज्ञान शास्त्र	100	25	25	75	150

9. स्नातकोत्तर अध्यापन केन्द्र के लिए अपेक्षाएं :

(क) अध्यापन केन्द्र को पूर्व स्नातक प्रशिक्षण के लिए होम्योपैथी (न्यूनतम शिक्षा-स्तर) विनियम 1983 में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। एम.डी. पाठ्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व केन्द्र को केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ख) स्नातकोत्तर विभाग के पास आनुषंगिक विभागों की पूरी सुविधाएं होनी चाहिए।

10. प्रशिक्षण :—

(1) प्रशिक्षण की अवधि :

एम.डी. के प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष होगी जिसमें एक वर्ष की गृह नियुक्ता अथवा उसके समकक्ष भी है।

(2) प्रशिक्षण की विधि :

प्रशिक्षण में पढ़ाने की पद्धति से दिए गए व्याख्यानों की अपेक्षा अंतःसेवा प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को संगोष्ठियों, समूह वादविवादों, नैदानिक अधिवेशनों आदि में भाग लेना चाहिए। अभ्यर्थी से विस्तृत वृत्तान्त के साथ एक शोध प्रबंध या शोध निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी जिससे कि वह शोध पद्धतियों और तकनीकी तथा अनुसंधान पत्र लिखने और सीखने की कला और पुस्तकालय का प्रयोग करने की विधि की आवश्यक पृष्ठभूमि अर्जित हो सके। अभ्यर्थी विद्यालय परिसर का निवासी रहेगा और उसको सौंपे गये सभी रोगियों के उपचार और देखभाल के प्रबन्ध का वर्गीकृत उत्तरदायित्व भी उस पर होगा। वह पूर्व स्नातक छात्रों और गृह प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और अध्यापन के कार्यक्रम में भाग लेगा। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संख्या में नैदानिक रेसीडेंट और ट्यूटर्स के पदों का सृजन किया जाएगा।

11. परीक्षा में (1) लिखित पत्र (2) मौखिक परीक्षा जिसमें प्रयोग भी है, और (3) नैदानिक परीक्षा (नैदानिक विषयों में) सम्मिलित होंगे।

12. (1) छात्र-मार्गदर्शक अनुपात :

छात्र और मार्गदर्शक का अनुपात 3 : 1 (तीन छात्र व एक [illegible]) होगा।

(2) मार्गदर्शक के चयन के लिए मानदंड

मार्गदर्शक के चयन के लिए मानदंड निम्नलिखित होगा।

(क) शैक्षिक अर्हताएं :—

डी.एच.एम.एस. या उसके समकक्ष,

या

बी.एच.एम.एस. या उसके समकक्ष :

(ख) अनुभव : कम से कम 20 वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसमें—

(i) डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले किसी मान्यताप्राप्त होम्योपैथी महाविद्यालयों में कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव

या

(ii) अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित अर्हता तथा उसके साथ किसी मान्यता प्राप्त चार-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव।

13. परीक्षक :

(1) परीक्षकों के लिए मानदंड मार्गदर्शकों के लिए मानदंडों के समान होंगे।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षकों की सूची दो वर्ष के लिए बनाई जाएगी और उसका अनुमोदन केन्द्रीय परिषद द्वारा किया जाएगा।

(3) परीक्षकों की सूची में से एक परीक्षक को मार्गदर्शक नियुक्त किया जाएगा।

(4) परीक्षकों में से कम से कम 50 प्रतिशत बाह्य परीक्षक होने चाहिए।

भाग—6

बाह्य अभ्यर्थियों के लिए विशेष उपबन्ध :—

इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रारम्भ के आठ वर्ष की अवधि तक विश्वविद्यालय निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के अधीन रहते हुए बाह्य अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर परीक्षा में बैठने की अनुमति देगा।

14. परीक्षा में प्रवेश —

(1) वह अभ्यर्थी जिसने होम्योपैथी में कम से कम चार वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरी करता हो, परीक्षा में बाह्य छात्र के रूप में बैठने का पात्र होगा :—

(क) वह कम से कम सहायक प्रोफेसर की पंक्ति के पूर्णकालिक पद पर नियमित पद धारण करता हो, या

(ख) उसके पास कम से कम सात वर्ष का मान्यता प्राप्त होम्योपैथी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य का अनुभव हो, या

(ग) दस वर्ष का नैदानिक अनुभव है।

(2) अभ्यर्थी को अन्तिम परीक्षा के कम से कम दो वर्ष पूर्व अपना नाम रजिस्टर कराना होगा।

(3) अन्तिम परीक्षा के आयोजन के कम से कम नौ मास पूर्व अभ्यर्थी को अपना शोध निबन्ध तैयार करके मार्गदर्शक को देना होगा। अन्तिम परीक्षा के कम से कम छह मास पूर्व मार्गदर्शक उसका अनुमोदन करेगा।

15. परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र — :

परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न-पत्र होंगे —

(क) मेटिरिया मेडिका

(मेटिरिया मेडिका प्यूरा और अपलाइड)

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा — अभ्यास (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान सहित)

(ग) औषधि ज्ञान-साधन और दर्शन

(घ) रेपरटरि

16 परीक्षक :—

परीक्षकों के लिए मानदंड इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार होगा।

डा. पी. एल. वर्मा, सचिव

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1989

No. 12-18/89-CCH/3392 :—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :— In these regulations, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);

(b) "course" means the following course of study in Homoeopathy, namely :—

(i) M.D. (Hom.) (Doctor of Medicine in Homoeopathy)—Materia Medica.

(ii) M.D. (Hom.) (Doctor of Medicine in Homoeopathy)—Homoeopathic Philosophy.

(iii) M.D. (Hom.) (Doctor of Medicine in Homoeopathy)—Repertory.

(c) "M.D. (Hom.)" means a post graduate degree in Homoeopathy (Doctor of Medicine in Homoeopathy) as prescribed in sub-regulation (1) of regulation 3;

(d) "Homoeopathy college" means a Homoeopathic medical college or an institute affiliated to a University and recognised by the Central Council for post graduate course;

(e) "insepctor" means a medical inspector appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act;

(f) "visitor" means a visitor appointed under sub-section (1) of section 18 of the Act;

(g) "President" means the President of the Central Council;

(h) "Schedule" means the Schedule annexed to the said Act;

(i) "syllabus" and "curriculum" means the syllabus and curriculum for different courses of study as prescribed by the Central Council under these regulations;

(j) "teaching experience" means teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic college or in a hospital recognised by the Central Council.

PART II

COURSES OF STUDY

3. (1) Post Graduate Degree Courses shall be in the following subjects:—

(a) M.D. (Hom)
Materia Medica.

(b) M.D. (Hom.)
Homoeopathic Philosophy.

(c) M.D. (Hom.)
Repertory.

(2) Each course shall be of three years duration including one year of house job or equivalent thereof.

(3) Each course shall comprise of the following

(a) M.D. (Hom.)
Materia Medica

(i) Ma[illegible]dica;
(ii) Pra[illegible]dicine;
(iii) Homo[illegible]losophy, Organon of Medicine
Or
Repertory; an[illegible]
(iv) Method of Re[illegible]tatistics.

(b) M.D (Hom
Homoeopathic Philosophy

(i) Homoeopathic [illegible]d Organon of Medicine;
(ii) Practice of Medic[illegible]
(iii) Materia Medica
OR
Repertory; and
(iv) Method of Research and Statistics.

(c) M.D. (Hom.) Repertory.

(i) Repertory;

(ii) Practice of Medicine;

(iii) Materia Medica

OR

Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine; and

(iv) Method of Research and Statistics.

PART III

ADMISSION TO COURSE

4. (1) No candidate shall be admitted to M.D. (Hom.) course unless he has :—

(i) Passed the Degree Examination obtained after under-going a course of study in Homoeopathy of not less than 5-1/2 years duration including the period of compulsory internship; or

(ii) Passed the Graded Degree Examination obtained after undergoing a course of study in Homoeopathy of not less than 2 years; or

(iii) Passed the Diploma Examination in Homoeopathy obtained after undergoing a course of study in Homoeopathy of not less than 4 years duration including the period of compulsory internship.

(2) Candidates for post graduate course shall be selected by the University on merit. Preference may be given to a candidae who has worked in rural areas for atleast two years.

PART IV

SYLLABUS

5. Syllabus for Post Graduate Degree (M.D. Hom.): The following shall be the syllabus for M.D. (Hom.) course, namely :—

(1) MATERIA MEDICA :

Knowledge of all the drugs used in clinical homoeopathic practice. The Materia Medica shall be studied in the manner so as to understand :

(i) the nature and scope of Homoepathic Materia Medica.

(ii) the sources and construction of Homoeopathic Materia Medica.

(iii) comparison of Homoeopathic Materia Medica with other systems of Medicine.

(a) Materia Medica Pura :

(i) to study pure effects of Homoeopathic drugs from all the sources, books and to interpret the same.

(ii) to conduct the drug-proving with new or partially proved drugs.

(b) Applied Materia Medica :

(i) The element involved in the application of Materia Medica (Homoeopathic Philosophy Clinical Medicine, Homoeopathic Repertory and Materia Medica Pura).

(ii) Different approaches of study of Materia Medica i.e. Pshycho-clinico-Pathological, Synthetic, Comparative, Analytic and Remedy Relationship.

(iii) To as-certain the clinical efficicacy of varios Homoeopathic drugs by clinical trial of partially proved drugs.

(iv) Homoeopathic management of Iatrogenic diseases.

(2) PRACTICE OF MEDICINE :

(i) Acute diseases including infectious diseases, their causes, courses, pathology, clinical manifestation, diagnostic procedures, complications and management with applied materia medica.

(ii) Chronic Miasmatic Diseases : Systemic conditions, one sided diseases, local diseases inclusive surgical and non-surgical diseases, psychiatric disorders, their causes, course, pathology, clinical manifestation, diagnostic procedure, complications and management with application of materia medica.

(iii) Non-Miasmatic Conditions: Social and community medicines including occupational and environmental diseases, ante-natal and family welfare, surgical and other conditions where palliative or mechanical treatment is needed.

(3) HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY AND ORGANON OF MEDICINE

Universal concept of life in general and human being in particular, with special reference to Hahnemannian concept with all his related writings, universal concept of mind, physical world different expression of physical world, its different components and their relationship.
Basic psychology of human being.

Concept-Causation-Effect

Dynamic concept of Health, Disease and Cure. Holistic concept and the concept of individualisation. DISHARMONY——HARMONY through principles of Similia. Methods of framing portrait of disease.

Application of Philosophy in study of Homoeopathic Materia Medica, Personality profile of every drug. History of Medicine. Emergence of Homoeopathy and its establishment in the field of medicine. Scope and limitations of Homoeopathic System of Medicine as understood today.

Critical study of different editions of Organon of Medicine.

(4) REPERTORY :

(i) Historical and critical study of evolution of Repertory in Homoeopathic practice;

(ii) Construction of Repertory with the concept from various authors of Repertory, viz. Boenninghausen, Boger-Boenninghausen, Kent, Card Repertory, etc;

(iii) Case taking from Homoeopathic point of view;

(iv) Concept of totality of symptoms;

(v) Evaluation of symptoms and different approaches to analysis and evaluation of symptoms;

(vi) Scope and limitations of the use of Repertory;

(vii) Method of using different Repertories for various type of illnesses.

(5) METHOD OF RESEARCH AND STATISTICS :

(i) Basic knowledge of medical statistics.

(ii) Nature and classification of research work in Homoeopathy with the help of recent advancements in statistics.

(iii) Explanatory research work.

OR

Confirmatory research work.

OR

Experimental research work.

PART V

EXAMINATIONS

6.(1) The examination shall be conducted in two parts, namely :—

(a) M.D. Hom. Part I.

(b) M.D. Hom. Part II.

(2) Every candidate seeking admission to Part I of the examination shall submit application to the University with the following, namely :—

(a) a certificate from his guide about the completion of the courses of studies in the subjects in which the candidate is seeking admission to the examination; and

(b) a certificate of having completed one year's house job in a recognised Hospital.

(3) Every candidate seeking admission to the Part II of the examintion shall submit a dissertation of not less than 10000 words. The dissertation shall form the basis of viva-voce examination.

7. Part-I M.D. Hom. Examination : Full marks for each subject and minimum number of marks required for a pass shall be as follows —

(a) M.D. (Hom.) Materia Medica :

Subject	Theory	Viva-voice	Practical	Pass marks	Total
Materia Medica Pura	200	100	100	200	400
Practice of Medicine with therapeutics	100	25	25	75	150
Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy or Repertory	100	25	25	75	150
Methods of Research and Statistics	100	—	—	50	100

(b) M.D. (Hom.) Homoeopatic Philosophy :

Subject	Theory	Viva-voice	Practical	Pass marks	Total
Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine	200	100	100	200	400
Practice of Medicine with therapeutics	100	25	25	75	150
Materia Medica or Repertory	100	25	25	75	150
Methods of Research and Statistics	100	—	—	50	100

(c) M.D. (Hom.) Repertory :

Subject	Theory	Viva-voice	Practical	Pass marks	Total
Repertory	200	100	100	200	400
Practice of Medicine with Therapeutics	100	25	25	75	150
Materia Medica or Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine	100	25	25	75	150
Method of Research and Statistics	100	—	—	50	100

8. M.D. Hom. Part II Examination : (1) The candidate shall prepare and submit to his guide a dissertation atleast nine months prior to the holding of Part II Examination. The guide shall evaluate the same atleast six months prior to the holding of Part II examination.

(2) Every candidate seeking admission to Part II of the examination shall submit an application to the University with the following, namely :—

(a) a certificate showing that he has passed Part I Examination; and

(b) a certificate from his guide about the completion of studies in the subjects in which the candidate is seeking admission to the examination.

(3) Full marks for each subject and minimum number of marks required for a pass shall be as follows :—

(a) M.D. (Hom.) Materia Medica :

Subject	Theory	Viva-voce	Practical	Pass marks	Total
1	2	3	4	5	6
Materia Medica Pura Paper I.	100	100	100	200	400
Materia Medica Clinical Paper II	100				
Practice of Medicine	100	50	50	100	200

1	2	3	4	5	6
Organon of Medicine and Philosophy	100	25	25	75	150
Repertory	100	25	25	75	150
(b) M.D. (Hom.) Homoeopathic Philosophy.					
Homoeopathic Philosophy	100	100	100	200	400
Organon of Medicine	100				
Practice of Medicine	100	50	50	100	200
Materia Medica	100	25	25	75	150
Repertory	100	25	25	75	150
(c) M.D. (Hom.) Repertory :					
Repertory					
Paper I	100	100	100	200	400
Paper II	100				
Practice of Medicine	100	50	50	100	200
Materia Medica	100.	25	25	75	150
Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine.	100	25	25	75	150

9. Requirements for a Post-Graduate Teaching Centre :—

(a) The Centre shall fulfil the minimum requirements as prescribed in the Homoeopathy (Minimum Standards of Education) Regulations, 1983 for undergraduate training. The Centre shall obtain evaluation and approval from the Central Council before starting of M.D. Course.

(b) Post-graduate department shall have all facilities of ancillary departments.

10. Training :

(1) Period of Training : The period of training for M.D. shall be 3 years after full registration including one year of house job or equivalent thereof.

(2) Method of Training : The emphasis should be on inservice training and not on didactic lectures. The candidate should take part in seminars, group discussions, clinical meetings etc., The candidate shouldbe required to write a thesis or dissertation with detailed commentary which should provide the candidate with necessary background of training in research methods and techniques alongwith the art of writing research papers and learning and making use of library. The candidate shall be a resident in the campus and shall be given graded responsbility in the management and treatment of patients entrusted to his care.. He shall participate in teaching and training of undergraudate students or interns. Adequate number of posts of clinical residents or tutors shall be created for this purpose.

11. The examination shall consists of (i) written papers; (ii) oral including practical and (iii) clinical (in clinical subjects).

12. (1) Student-Guide Ratio :

Student Guide Ratio : 3:1 (three students one guide).

(2) Criteria for the selection of Gudie :

Criteria for the Guide shall be :—

(a) Educational qualification : DHMS or its equivalent ; or BHMS or its equivalent.

(b) Experience : Professional standing of not less than 20 years out of which :—

(i) he shall possess teaching experience of not less than 10 years in a recognised Homoeopathic College running diploma (DHMS) or degree (BHMS) Course;

OR

(ii) he shall possess qualification included in the Third Schedule to the Act, with 10 years teaching experience in a Homoeopathic Medical College conducting recognised diploma course of four years duration or degree course.

13. Examiners :

(1) The criteria for examiners shall be the same as of the Guide.

(2) A panel of examiners shall be prepared by the University for a period of two years which shall be approved by the Central Council.

(3) One of the examiners out of the panel shall be appointed as giude.

(4) At least 50% of the examiners shall be external examiners.

PART VI

SPECIAL PROVISION FOR EXTERNAL CANDIDATES

Notwithstanding anything contained in these regulations the University shall allow the external candidates to appear in the Post Graduate examination for a period of eight years from the commencement of these regulations subject to fulfilment of the following conditions—

14. Admission to Examination :

(1) A candidate who has passed the final examination of a diploma course in Homoeopathy of not less than four years duration and fulfils any of the following conditions shall be eligible for admission to the examination as an external candidate :—

(a) holds full time regular post not below the rank of Assistant Professor,

OR

(b) has teaching experience of not less than seven years in a recognised Homoeopethic Meidcal College,

OR

(c) has ten years professional experience.

(2) The candidate shall register his name atleast two years before the final examination.

(3) The candidate shall prepare and submit to his guide a dissertation atleast nine months prior to the holding of the final examination. The guide shall approve the same at least six months prior to the holding of the final examination.

15. Papers for examination :

The examination will comprise of the following papers :—

(a) Materia Medica—(Materia Medica Pura and Applied).

(b) Homoeopathic Practice of Medicine (including Gynae and Obstetrics).

(c) Organon of Medicine and Philosophy.

(d) Repertory.

16. Examiners :

The criteria for examiners shall be as given in regulation 13 of these regulations.

Dr. P.L. VERMA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1993/फाल्गुन 3, 1914
No. 9] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 1993/PHALGUNA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1993

क्रमांक 12-3/91/सी.सी. एच.— [illegible] होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 के खंड [illegible] ट) और धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] सरकार के पूर्व अनुमोदन से

होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम डी. (होम्यो) विनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम डी (होम्यो.) संशोधन विनियम, 1992 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम. डी. (होम्यो) विनियम, 1989 में :—

(1) भाग-III "पाठ्यक्रम में प्रवेश" शीर्षक के अधीन विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (iii) का लोप किया जायेगा।

(2) भाग-V "परीक्षाएँ" शीर्षक के अधीन विनियम 8, के उप-विनियम (3) में —

(क) खंड (क) में, सारणी के स्तम्भ-1 में "औषधि विज्ञान साधन और दर्शन" शब्दों के पश्चात् शब्द "या" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (ख) में, सारणी के स्तम्भ-1 में "मैटिरिया मेडिका" शब्दों के पश्चात् शब्द "या" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) खंड (ग) में, सारणी के स्तम्भ-1 में "मैटिरिया मेडिका" शब्दो के पश्चात् शब्द "या" अंतःस्थापित किया जाएगा।

डॉ. ललित वर्मा, सचिव

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 1993

No. 12-3/91-CCH.—In exercise of the powers conferred by clause (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M. D. (Hom.) Regulations, 1989, namely —

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course), M.D. (Hom.) (Amendment) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M. D. (Hom.) Regulations, 1989 :—

(1) In part III, under the heading "Admission To Course", cluase (iii) of sub-regulation (1) of regulation 4 shall be omitted ;

(2) In part V, under the heading "Examinations", in regulation 8, in sub-regulation (3) :—

(a) In clause (a), in the table, in column 1, after the words "Organon of Medicine and Philosophy", the word "or" shall be inserted;

(b) in clause (b), in the table, in column 1, after the words "Materia Medica", the word "or" shall be inserted ;

(c) in clause (c), in the table, in column 1, after the words "Materia Medica" the word "or" shall be inserted.

DR. LALIT VERMA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993